न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कंसोटिया **RAS**

राजस्व अपील संख्या – 8/2022

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
01.जमना पुत्री स्व0 भोमला उर्फ भोमारामजी पत्नि श्री चौथाराम जाति बावरी निवासी बावरियो का बास जैतपुर गढवाडा पाली।		01.ग्राम पंचायत शिकारपुरा जरिये सरपंच। 02.जोधपुर विकास प्राधिकारी जरिये सचिव। 03.भेराराम पुत्र स्व0भोमला उर्फ भोमारामजी 04.ढगलाराम पुत्र स्व0 भोमला उर्फ भोमाराम . जातियान बावरी निवासीगण ग्राम कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर। 05.पेपी पुत्री स्व0 भोमला उर्फ भोमाराम जी पत्नि श्री चिमनाराम जाति बावरी निवासीगण भाकरीवाला पाली। 06.सुखीदेवी पुत्री स्व0भोमला उर्फ भोमाराम पत्नि श्री भाणाराम जाति बावरी निवासी अरटिया ढाबर कला पाली। 07.मुकेश सिंधवी पुत्र श्री उम्मेदमल सिधवी जाति ओसवाल निवासी 129 गली नम्बर 2 श्याम नगर जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 275 ग्राम पंचायत शिकारपुरा तहसील–लुणी, जोधपुर द्वारा दिनांक 18.12.1976 को पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – प्रेम कुमार देवडा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से अधिवक्ता हनुमान प्रजापति उपस्थित।

:: आदेश :: दिनांक : 8/8/2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध ग्राम शिकारपुरा के नामांतरकरण संख्या 275 दिनांक 18.12.1976 को ग्राम पंचायत शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम काकाणी हाल तहसील लूणी मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 661 रकबा 42 बीघा 06 बिस्वा व खसरा नम्बर 793 रकबा 34 बीघा 09 बिस्वा कृषि भूमि हाल रूप से अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या तीन से छः के पिता भोमला उर्फ भोमाराम पुत्र मुलाराम की खातेदारी की कृषि भूमियां थी उक्त कृषि भूमिया अपीलाण्ट के पिता भोमला उर्फ भोमारामजी के फौत होने पर केवल मात्र उनके दो पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार के हक मे नामान्तरकरण संख्या 275 के जरिये दर्ज कर दी गयी। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति के समय अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर ही नही दिया गया एवं बिना सभी वारिसान की जॉच किये तथा अपीलाण्ट को उनके हिस्से से वचित करने के उदेश्य से तथा रेस्पोडण्टस संख्या तीन व चार को लाभ पहूचाने की गरज से उनकी मिलीभगती से तत्कालीन राजस्व कर्मचारियो एव सरपंच ने मिली भगत करके रेस्पोडेण्टस संख्या तीन व चार के नाम से उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि दर्ज कर दी गयी। इसलिये नामान्तरकरण संख्या 275 बिना बिना जॉच पडताल किये केवल मात्र पुत्रो के नाम दर्ज किया जाकर स्वीकृत होने से शुरू से ही शुन्य एव प्रभावहीन है ऐसे नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या तीन व चार को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुए है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

जिस नामान्तरकरण के विरूद्व यह अपील पेश कि है कि ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण जैर अपील मनमाने ढग से स्वीकार करने मे कानूनी एव वाक्याती भूल की है। ग्राम पंचायत के समक्ष नामान्तरकरण जैर अपील की स्वीकृत करने से पूर्व राजस्व रेकार्ड एव कब्जे तथा सभी वारिशान की विस्तृत जॉच की जानी चाहिये थी लेकिन ग्राम पंचायत एव राजस्व कर्मचारियो ने रेस्पोडेण्टस संख्या तीन व चार से मिलीभगत करते हुए उनके हक मे नामान्तरकरण संख्या 275 दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलाण्ट का नाम ही दर्ज नही किया गया जबकि अपीलाण्ट भी भोमला उर्फ भोमाराम जी की प्रथम श्रेणी की वारिसान है इसी आधार पर उक्त नामान्तक्रण निरस्त किये जाने योग्य हैं जबकि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण बहैसियत खातेदार के काबिज है तथा उक्त नामान्तरकरण की आड मे रेस्पोडेण्टस अपीलाण्ट को अपने खातेदारी अधिकारो से वंचित करने पर तुले हुए है जबकि अपीलाण्ट का भी उक्त खसरान की कृषि भूमियो मे 1/2 हिस्सा है उनके हिस्से का न तो बेचान किया जा सकता है एंव न ही किसी प्रकार की कोई संपरिवर्तन सम्बन्धित कार्यवाही अमल मे लायी जा सकती है एव यदि किसी प्रकार बेचान भी किया गया हो एव यदि कोई संपरिवर्तन की कार्यवाही की भी जा चुकी है तो वह अपीलाण्ट के हक हिस्से तक शून्य है नामान्तकरण जैर अपील की कार्यवाही करने एव हसे स्वीकार करने मे हल्का पटवारी राजस्व निरीक्षक तथा ग्राम पंचायत ने राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु लैण्ड रेकर्ड रूल्स की नितान्त अवहेलना की है इसी कारणं अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मे नामान्तकरण संख्या 275 दिनांक 18.12.1976 को रेस्पोडेण्टस संख्या तीन व चार के हक मे स्वीकृत किया गया उसे निरस्त किया जावे तथा स्व0 भोमला उर्फ भोमाराम के सभी वारिशानो के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को नोटिस जारी किए रेपोडेण्टस संख्या तीन से छः से सुचना के बावजूद उपस्थित होने के कारण रेस्पोडेण्टस संख्या तीन से छःके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई इस दौराने सुनवाई प्रार्थी मुकेश सिधवी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जिस पर सुनवाई कर मुकेश सिधवी को पक्षकार रेस्पोडेंण्टस बनाय गया एव रेस्पोडेण्टस संख्या सात मुकेश सिधवी की ओर अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया जो शमिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाट द्वारा अपील नामान्तकरण संख्या 275 दिनांक 18.12.1976 के विरूद्व पेश की है जिसके साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका जबाव रेस्पोडण्टस द्वारा प्रस्तुत कर अपील म्याद बाहर होने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। चूँकि माननीय राजस्व मंडल ने अपने अभिमत से पहले धारा 5 म्याद अधिनियम का निस्तारण करना आवश्यक समझते है तथा गुणावगुण पर बहस सुनी गई।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलॉट का उपरोक्त अपील आदेश दिनांक 18.12.1976 के विरूद्व पेश की है। जिस पर प्रार्थी द्वारा बहस मे कथन किया कि उपरोक्त आदेश नामान्तरकरण अपीलॉट को सुनवाई का अवसर दिए बगैर तथा जॉच किए बगैर स्वीकृत किया है तथा अपीलॉट का उसका हको से वचित करने के उदेश्य से स्वीकृत किया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
[illegible]

जिसकी जानकारी अपीलॉट को दिनांक 21.03.2022 को हुई जब बेदखल करने की धमकीयो एवं उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण से संपरिवर्तन करवा कर बेचान करने की धमकी देने एंव अपीलॉट द्वारा दिनांक 01.04.2022 को नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई जो जानकारी से अन्दर म्याद होने के कारण अपील अंदर म्याद शुमार की जावे।

रेस्पोडेण्टस अधिवक्ता द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस मे कथन किया की अपीलॉट की अपील अत्यधिक विलम्ब लगभग 45 वर्षो बाद अपील पेश की है जबकि निर्धारित अवधि 30 दिन ही है तथा म्याद का क्षमा करने का कोई समुचित कारण नही बताया और न ही इतनी लम्बी अवधि बाबत कोई संतोष जनक कारण बताया गया है जबकि उक्त भूमि वर्षो पूर्व ही खातेदार द्वारा विकैय की जा चुकी है जो अलग अलग खसरो मे विभक्त हो चुकी हे तथा केतागण ने उक्त कय शुद्वा भूमि के लिए संपरिवर्तन करवाकर भू उपयोग परिवर्तन करवा दिया जहॉ पर अकृषि कार्य के रूप मे काम मे ली जा रही है ऐसी स्थिति मे अपीलॉट का म्याद माफी का कारण स्वतः ही गलत हो जाता है तथा माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने भी समुचित कारण के अभाव मे प्रार्थना पत्र खारिज करने का मत प्रतिपादित किया है। रेस्पोडेण्टस ने प्रारम्भिक आपत्तियॉ भी पेश की जिसके तहत म्याद बिन्दु एवं समुचित कारण के अभाव मे तथा भूमि संपरिवर्तन होने के आधार पर अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया साथ ही रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि भूमि विकय की जा चुकी है तथा संपरिवर्तन हो चुकी है ऐसी स्थिति मे राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकर भी नही है तथा विकय की जा चुकी भूमि मे अनेक लोगो के पक्ष मे अधिकार बन चुके है जिन्हे अपीलॉट ने पक्षकार नही बनाया जिस कारण अपील स्वीकार नही की जा सकती हे उसे खारिज किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण सख्या 275 दिनांक 18.12.1976 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जो 45 वर्षो बाद अपील पेश की गई तथा नामान्तरकरण मे दर्ज खसरा नम्बर 661 रकबा 41 बीघ 06 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 793 रकबा 34 बीघा 09 बिस्वा तथा वर्तमान जमाबंन्दी मे दर्ज खसरा नम्बर 661/2 रकबा 1.4002 हैक्टर एव खसरा नम्बर 793 रकबा 0.2347 हेक्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण मे दर्ज भूमि अब अपीलॉट के भाई रेस्पोडेण्टस के नाम दर्ज ही नही है अर्थात भूमि का हस्तातरण हो चुका है तथा केतागण के अधिकार उत्पन्न हो चुके है जिसका विस्तृत रिकार्ड अपीलॉट द्वारा पेश नही किया गया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 धारा 151 सीपीसी के तहत मुकेश सिधंवी के पक्षकार बनने पर उसके द्वारा संपरिवर्तन आदेश एवं पटटा की प्रति पेश की जिसमे भी स्पष्ट है कि भूमि की किस्म भी संपरिवर्तन हो चुकी हे अर्थात नामान्तरकरण मे दर्ज भूमि विकय भी की जा चुकी है तथा संपरिवर्तन होने के भी साक्ष्य है तथा इसमे कौन कौन व्यक्ति प्रभावित हो तो इस बाबत कोई रिकोर्ड पत्रावली पर अपीलॉट द्वारा पेश नही किया ओर न ही पक्षकार के रूप मे संयोजित किया है। इन तथ्यो से स्पष्ट है कि नामान्तकरण मे दर्ज भूमि मौके पर परिवर्तन हुई है ऐसी स्थिति मे लम्बी अवधि तक अपीलॉट को भूमि के रेकार्ड के बारे मे जानकारी न हो ऐसा समुचित नही लगता है इन कारणो से अपील का म्याद बाहर होने का जो कारण प्रार्थना पत्र मे वर्णित किए है वे उचित नही लगते तथा 45 वर्षो की अवधि भी एक लम्बी अवधि है जिन्हे सामान्य रूप से माफ नही किया जा सकता है तथा न ही ऐसा कोई ठोस कारण अपीलॉट ने बताया गया हो जिस पर सहज विश्वास किया जा सके। एवं रेस्पोडेण्टस जो अपीलॉट के भाई है इन्होने न्यायालय मे कोई विरोध अपील मे नही किया। जो एक मिली भगत होने पर संदेह उत्पन्न करता है। तथा गुणावगुण पर भी नामान्तरकरण मे दर्ज भूमि का भू भाग संपरिवर्तन हो चुका है जिसकी एक प्रति भी पत्रावली पर पेश है जिसमे स्पष्ट है कि उक्त भूमि बाबत राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकर नही है तथा रेस्पोडेण्टस मुकेश सिधवी के पक्ष मे जारी पटटा किसी भी रूप मे किसी न्यायालय द्वारा खारिज नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण गुणावगुण पर भी सारहीन प्रतीत होता है

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही वितीय कार्यवाही है जो किसी के अधिकार तय नही करता है इन तमाम परिस्थितियो मे अपीलॉट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से शुमार की जाना उचित प्रतीत नही होती हैं अतः–उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर व सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी,
लूणी

निर्णय आज दिनांक 08/08/2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी,
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner